रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012021-224078
CG-DL-E-01012021-224078

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 1, 2021/पौष 11, 1942
No. 01] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 1, 2021/PAUSHA 11, 1942

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2021

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) (संशोधन) विनियम 2021

मि. 1-4/2016 (आईओई).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम, 2017 में संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ.—**(1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) (संशोधन) विनियम, 2021 कहा जाएगा।

   (२) ये विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान) विनियम 2017 (इसके पश्चात इन्हें उक्तविनियम कहा गया है) के विनियम 2.0 (परिभाषाएं) में -

(क) खंड 2.10 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्: -

"2.10 मंत्रालय का अभिप्राय “शिक्षा मंत्रालय”।

(ख) खंड 2.12 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

" 2.12 ऑफ कैंपस सेंटर का अभिप्राय समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान के भारत के भीतर परिसर से अलग स्थित सरकार द्वारा अनुमोदित परिसर से है"।

(ग) खंड 2.13 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"2.13 ऑफ-शोर कैंपस का अभिप्राय समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान के भारत के बाहर इसके परिसर से परे स्थित सरकार द्वारा अनुमोदित सेंटर से है"।

(घ) खंड 2.15 में "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एमसीआई) शब्दों के लिए ""राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग"" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे"।

3. उक्त विनियमों के विनियम 4.0, उप-विनियम 4.2 में,) खंड 4.2.7 के लिए, निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

"4.2.7 शिक्षक - छात्र अनुपात की गणना के प्रयोजन के लिए संकाय में नियमित शिक्षक, सहायक शिक्षक, विदेशी शिक्षक, अतिथि शिक्षक, संविदात्मक शिक्षक, उद्योग शिक्षक और सीमित अवधि शिक्षक (Tenure Track faculty) या संबंधित व्यावसायिक नियामक परिषद द्वारा अनुमोदित संकाय।

तथापि, कम से कम 60% शिक्षक को स्थायी/ नियमित आधार पर नियुक्त किया गया हो और इस प्रयोजन के लिए अंशकालिक शिक्षक की गणना नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 60% स्थायी/ नियमित शिक्षको को किसी भी समय शिक्षक छात्रों के 1:10 अनुपात को भंग नहीं होना चाहिए।"

4. उक्त विनियमों के उप-विनियम 5.2 में, "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्द "मंत्रालय" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. उक्त विनियमों के विनियम 6 में, उप-विनियम 6.1 में खंड (iii) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"(iii) ग्रीनफील्ड संस्थानों के लिए प्रायोजित संगठन में वे सदस्य होने चाहिए जिनकी सामूहिक रूप से कुल निवल संपत्ति कम से कम पांच हजार करोड़ रुपए हो। मौजूदा संस्थानों के लिए, प्रायोजक संगठन की कुल निवल संपत्ति कम से कम तीन हजार करोड़ रुपये होनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, सदस्यों अथवा संगठन, जैसा भी मामला हो, की पिछले तीन वित्तीय वर्षों की निवल संपत्ति के औसत को ध्यान में रखा जाएगा "।

6. उक्त विनियमों के विनियम 8.0 में-

(क) उप-विनियम 8.1 में, "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शब्दों के लिए दोनों स्थानों पर जहां वे हैं, निम्नलिखित शब्द "मंत्रालय" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) उप-विनियम 8.2 के खंड 8.2.1 में, "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शब्दों के लिए, निम्नलिखित शब्द "मंत्रालय" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) उप-विनियम 8.4 में; -

(i) खंड (क) में, "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शब्दों के लिए, निम्नलिखित शब्द "मंत्रालय" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) खंड (घ) में, "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शब्दों के लिए, निम्नलिखित शब्द "मंत्रालय" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) खंड (ङ) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“(ङ) मंत्रालय खंड (घ) के अधीन सिफारिशों के प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर एक आशय पत्र जारी करेगा, या अन्यथा आवेदन को अस्वीकार कर देगा। यदि संस्थान किसी भी समय अपने आशय पत्र (LoI) को अभ्यर्पित कर देता है, तो संस्थान के आवेदन को निवर्तित माना जाएगा और आवेदन/प्रसंस्करण शुल्क को जब्त कर लिया जाएगा। "

(iv) खंड (छ) में, "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शब्दों के लिए, निम्नलिखित शब्द "मंत्रालय" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) खंड (ज) में, "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शब्दों के लिए, जहां भी वे हैं, निम्नलिखित शब्द "मंत्रालय" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) खंड (i) में, "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शब्दों के लिए, निम्नलिखित शब्द "मंत्रालय" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

7. उक्त विनियमों के विनियम 11.0 के उप-नियम 11.2, में -

(क) खंड 11.2.4 के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"11.2.4 समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान को अपने कार्यक्रमों के भाग के रूप में ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करने की स्वतंत्रता होगी। यदि किसी कार्यक्रम के सभी पाठ्यक्रमों की ऑनलाइन संचालित/ प्रदान किया जाता है, तो इसका उल्लेख संबंधित प्रमाणपत्र/ डिग्री में भी किया जाना चाहिए।”

(ख) खंड 11.6.2 के पश्चात निम्नलिखित खंडों को शामिल किया जाएगा, अर्थात्: -

" **11.7 ऑफ कैंपस सेंटर (सेंटरों) की स्थापना-** समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थानों को नए ऑफ कैंपस सेंटर (सेंटरों) (5 वर्षों में अधिकतम 3 और एक शैक्षणिक वर्ष में 1 से अधिक नहीं) को आरंभ करने की अनुमति होगी, इसके नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

11.7.1- समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान अपने आवेदन को निर्धारित प्रोफार्मा में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के साथ मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे जिसमें 10 वर्ष की नीतिगत विजन योजना और 5 वर्ष की प्रवाही (रोलिंग) कार्यान्वयन योजना अर्थात अकादमिक योजना, शिक्षक भर्ती योजना, छात्र प्रवेश योजना, अनुसंधान योजना, अवसंरचना ढांचा विकास योजना, वित्तीय योजना, प्रशासनिक योजना, स्पष्ट वार्षिक उपलब्धि और कार्य योजना सहित निहित होगी कि ऑफ-कैंपस सेंटर आरंभ करने/ स्थापित करने के अनुमोदन के लिए पहचान योग्य परिणामों के साथ प्रस्तावित ऑफ-कैंपस सेंटर किस प्रकार से स्थापित किया जाना है। मंत्रालय आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर आयोग के परामर्श के लिए आयोग को आवेदन अग्रेषित करेगा।

11.7.2- ऑफ-कैंपस सेंटर (सेंटरों) के लिए आवेदन करने वाले समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान को प्रस्तावित ऑफ-कैंपस सेंटर में निम्नलिखित अनुबंध को उचित समयावधि के भीतर पूरा करना होगा, जो पांच साल से अधिक नहीं होनी चाहिए: -

i. शिक्षक छात्र अनुपात 1:20 से अधिक नहीं होगा अथवा संबंधित व्यावसायिक नियामक परिषद (परिषदों) की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। पाँच वर्षों के अंत में शिक्षक छात्र का अनुपात 1:10 होना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए संकाय में नियमित शिक्षक, सहायक शिक्षक , विदेशी शिक्षक, अतिथि शिक्षक, संविदा शिक्षक, उद्योग शिक्षक और पूर्णकालिक सीमित अवधि शिक्षक (Tenure Track Faculty), अथवा संबंधित व्यावसायिक नियामक परिषद (परिषदों) द्वारा अन्यथा अनुमति

प्रदान किए गए संकाय रूप में शामिल होंगे।हालांकि कम से कम 60% शिक्षको को स्थायी/ नियमित आधार पर नियुक्त होना चाहिए:

ii. एक तिहाई स्नातकोत्तर/अनुसंधान छात्रों के साथ नियमित कक्षा पद्धति के अंतर्गत न्यूनतम 500 छात्र पंजीकृत;

iii. कम से कम 5 स्नातकोत्तर कार्यक्रम;

iv. अनुसंधान कार्यक्रम;

v. प्रति छात्र निर्मित क्षेत्र 30 वर्ग मीटर से कम न हो जिसमें अकादमिक (अकादमिक भवन, पुस्तकालय, व्याख्यान कक्ष, प्रयोगशालाएं, आदि), प्रशासनिक (छात्रावास, संकाय निवास, स्वास्थ्य देखभाल), सामान्य और मनोरंजक सुविधाएं शामिल होंगी।

तथापि, कार्यक्रम आरंभ करने के समय, प्रस्तावित ऑफ-कैंपस सेंटर (सेंटरों) में अकादमिक और भौतिक अवसंरचना यूजीसी/ संबंधित व्यावसायिक नियामक परिषद (परिषदों) द्वारा निर्धारित मानदंडों/ मानकों के अनुसार होनी चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम के लिए, जहां भी आवश्यक हो, संबंधित व्यावसायिक नियामक परिषद (परिषदों) का अनुमोदन होना चाहिए। समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि ऑफ-कैंपस सेंटर के मानदंड और मानक वहीं होंगे जैसा कि इस तरह के पाठ्यक्रमों के लिए मुख्य परिसर में चालू हैं, और ऑफ-कैंपस सेंटर समान प्रवेश मानदंड, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली का भी पालन करेगा। ऑफ-कैंपस सेंटर के बारे में सारी सूचना समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान की वेबसाइट पर बताई जाएगी।

तथापि, यह भी कि समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान को अन्तरिम परिसर में इस शर्त पर ऑफ-कैंपस सेंटर आरंभ करने की अनुमति होगी कि स्थायी परिसर उचित समय अवधि के भीतर तैयार हो जाएगा जो पाँच वर्षों से अधिक नहीं हो।

तथापि, और यह कि समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑफ-कैंपस सेंटर आरंभ होने के 10 वर्षों के अंत तक, ऑफ-कैंपस सेंटर 3 संकायों वाले एक बहु विषयक अनुसंधान एवं शिक्षण परिसर के रूप में विकसित हो गया है जिसमें न्यूनतम 300 शिक्षक और 3000 छात्र हों।

11.7. 3 - आयोग परीक्षण के लिए ईईसी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा और ईईसी आवेदन पर अपनी सिफारिशें देगा। वास्तविक निरीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रक्रिया मंत्रालय से आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी।

11.7. 4 - आयोग के अध्यक्ष, आयोग की ओर से, ईईसी की सिफारिशें प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर आयोग के परामर्श के साथ ईईसी की सिफारिशों को मंत्रालय को अग्रेषित करेंगे ।

11.7. 5 – ईईसी की सिफारिशों और आयोग के परामर्श पर विचार करने के पश्चात, और सामान्यतया इस तरह का परामर्श प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर, या तो ऑफ-कैंपस सेंटर आरंभ करने, या नया ऑफ-कैंपस सेंटर स्थापित करने, जैसा भी मामला हो, हेतु आशय-पत्र (LoI) जारी करने के लिए अधिसूचना जारी करे अथवा कारण बताते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे। मंत्रालय का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

11.7.6- ऑफ-कैंपस सेंटर (सेंटरों) के कामकाज की समीक्षा ईईसी द्वारा स्वतंत्र रूप से और/या समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान के साथ इन विनियमों के खंड 13.0 (निगरानी और समीक्षा) के अधीन उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। ऑफ-कैंपस सेंटर की समीक्षा के बाद, यदि ईईसी ऑफ-कैंपस सेंटर के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है, तो वह केंद्र सरकार को ऑफ-कैंपस सेंटर बंद करने की सिफारिश कर सकता है। ऐसे मामलों में ऑफ-

कैंपस सेंटर में नामांकित छात्रों के हित की रक्षा की जाएगी और समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थानों को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार वाले राज्य विश्वविद्यालय से ऑफ-कैंपस सेंटर की संबद्धता लेने के लिए कहा जाएगा।

"11.8 ऑफ-शोर कैंपस की स्थापना

11.8.1- समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थानों को विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति से नए ऑफ-शोर कैम्पस शुरू करने की अनुमति होगी समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑफ-शोर कैंपस के मानदंड और मानक वही हों, जो समान पाठ्यक्रमों के लिए मुख्य परिसर में चालू है, और ऑफ-शोर कैंपस भी समान प्रवेश मानदंडों, पाठ्यक्रम परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली का पालन करेगा। ऑफ-शोर कैम्पस के बारे में सारी जानकारी समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान की वेबसाइट पर बताई जाएगी।

11.8.2- ऑफ-शोर कैंपस (कैंपसों) के कामकाज की समीक्षा ईईसी द्वारा स्वतंत्र रूप से और/या समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान के साथ इन विनियमों के खंड 13.0 (निगरानी और समीक्षा) के अधीन उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। ऑफ-शोर कैंपस (कैंपसों) की समीक्षा के बाद, यदि ईईसी ऑफ-शोर कैंपस के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है, तो यह केंद्र सरकार को ऑफ़-शोर कैंपस को बंद करने की सिफारिश कर सकता है। ऐसे मामलों में ऑफ-शोर कैंपस में नामांकित छात्रों के हितों को समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान द्वारा संरक्षित किया जाएगा।

"11.9 समझौता/व्यवस्था करना

(क) समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान, संस्थान की स्थापना, रखरखाव या संचालन के लिए समझौता या व्यवस्था कर सकता है, तथा-

(I) इस तरह के समझौते या व्यवस्था को संसद के किसी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन अनुमति दी गई है; तथा-

(II) विनियम 11.7 में निर्दिष्ट प्रक्रिया, विनियम 11.7.2 को छोड़कर, का पालन करते हुए आवेदन किया है,

और इस तरह के समझौते या व्यवस्था के अधीन स्थापित किया जाने वाला कैंपस -

(क) समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान के ऑफ कैंपस सेंटर के रूप में माना जाता है जब तक कि इस तरह के समझौते या व्यवस्था ऐसे कानून के अधीन वैध बना रहता है; तथा-

(ख) 'लाभार्थ इकाई नहीं' के रूप में लेखा परीक्षा और प्रकटीकरण के मानक वही होंगे जैसे समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान में हैं।

(ख) समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान कौशल उन्मुख व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए समझौता या व्यवस्था कर सकता है यदि इस तरह के पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संसद के किसी अन्य अधिनियम के अधीन स्थापित किसी अन्य निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

8. उक्त विनियमों के विनियम 13.0 के उप-नियम 13.1 में "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शब्दों के लिए, निम्नलिखित शब्द "मंत्रालय" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

9. उक्त विनियमों के विनियम 16.0 में निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा;

"16.0 समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान एक एकात्मक संस्थान समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान होगा, जिसमें ऑफ-कैंपस सेंटर और ऑफ-शोर कैंपस शामिल होंगे, यदि कोई हो, एवं किसी अन्य संस्थान को संबद्ध नहीं करेगा।"

10. उक्त विनियमों के विनियम 19.0 (दूरस्थ शिक्षा) के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्: -

19.0 "दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा" :- समवत विश्वविद्यालय श्रेष्ठ संस्थान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुसार, बिना किसी अनुमोदन के दूरस्थ पद्धति और ऑनलाइन पद्धति के अधीन पाठ्यक्रम संचालित/ प्रदान कर सकते हैं। यह प्रावधान सरकार के स्वामित्व वाले और नियंत्रित सम विश्वविद्यालयों के लिए भी लागू होगा, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सरकारी शैक्षणिक संस्थानों की श्रेष्ठ संस्थानों के रूप में घोषणा) दिशानिर्देश, 2017 के अधीन श्रेष्ठ संस्थान घोषित किया गया है।"

11. उक्त विनियमों के विनियम 21.1 के उप-विनियम 21.1 में, "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शब्दों के लिए निम्नलिखित शब्द "मंत्रालय" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

प्रो. रजनीश जैन, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./435/2020]

टिप्पणी: मुख्य अधिनियम भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-III खंड IV में मि.सं. 1-4/2016(सी.पी.पी-I /डीयू) दिनांक 29 अगस्त, 2017 में प्रकाशित किए गए थे।

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2021

UGC (institutions of Eminence Deemed to be Universities) (Amendments) Regulations 2021

F. No.- 1-4/2016(IoE).—In exercise of powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following regulations to amend the UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017, namely:-

1. Short title and Commencement.—(1) These regulations may be called the UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) (Amendment) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the UGC (Institutions of Eminence Deemed to be Universities) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as the said regulations); in regulation 2.0.,-

(a) for sub-regulation 2.10, the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

‘2.10 “Ministry” means the Ministry of Education’;

(b) for sub-regulation 2.12, the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

‘2.12 “Off Campus Centre” means a centre of the Institution of Eminence Deemed to be University, approved by the Government, and situated beyond its Campus within India.’;

(c) for sub-regulation 2.13, the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

‘2.13 “Off-shore Campus” means a centre of the Institution of Eminence Deemed to be University, approved by the Government, and situated beyond its Campus outside India.’;

(d) in sub-regulation 2.15, for the words, brackets and letters “Medical Council of India (MCI)” the following words “National Medical Commission” shall be substituted.

3. In the said regulations, in regulation 4.0, in sub-regulation 4.2, for clause 4.2.7, the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“4.2.7 The faculty student ratio should be not less than 1:20 at the time of notification issued declaring an institution as an Institution of Eminence and should increase over time so as not to be less than 1:10 after five years of this date. The faculty for the purpose of calculating the teacher-student ratio shall include the regular faculty, adjunct faculty, overseas faculty, visiting faculty, contractual faculty, industry faculty and tenure track faculty, or faculty as otherwise permitted by the Statutory Council(s) concerned-:

Provided, that 60 per cent of the faculty shall be appointed on permanent/regular basis and part-time faculty shall not be counted for this purpose. Moreover, 60 per cent of the permanent/ regular faculty shouldn't breach 1:10 faculty student ratio at any point of time.

4. In the said regulations, in sub-regulation 5.2, for the words "MHRD" the following word "Ministry" shall be substituted.

5. In the said regulations, in regulation 6.0, in sub-regulation 6.1, for clause (iii) the following clause shall be substituted, namely:-

"(iii) The sponsoring organisation for greenfield institutions should have members whose total networth is at least rupees five thousand crores collectively. For existing institutions, the total networth of the sponsoring organization should be at least rupees three thousand crores. For this purpose, the average of the net-worth of the members or organization, as the case may be, for the last three financial years shall be taken into consideration."

6. In the said regulations, in regulation 8.0:-

(a) in sub-regulation 8.1, for the words "Ministry of Human Resource Development" at both the places where they occur, the following word "Ministry" shall be substituted;

(b) in sub-regulation 8.2, in clause 8.2.1, for the words "Ministry of Human Resource Development", the following word "Ministry" shall be substituted;

(c) in sub-regulation 8.4.,-

(i) in clause (a), for the words "Ministry of Human Resource Development", the following word "Ministry" shall be substituted;

(ii) in clause (d), for the words "Ministry of Human Resource Development", the following word "Ministry" shall be substituted;

(iii) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:-

"(e) the Ministry will issue a Letter of Intent (LoI), or otherwise reject the application, within two weeks of receipt of the recommendations under Clause (d). In case the institute surrenders its Letter of Intent (LoI) at any time, the application of the institute shall be treated as withdrawn and the application/processing fee shall stand forfeited.".

(iv) in clause (g), for the words "Ministry of Human Resource Development", the following word "Ministry" shall be substituted;

(v) in clause (h), for the words "Ministry of Human Resource Development", wherever they occur, the following word "Ministry" shall be substituted;

(vi) in clause (i), for the words "Ministry of Human Resource Development", the following word "Ministry" shall be substituted;

7. In the said regulations, in regulation 11.0, in sub-regulation 11.2.,-

(a) for clause 11.2.4, the following clause shall be substituted, namely:-

"11.2.4 The Institution of Eminence Deemed to be University shall have the freedom to offer online courses as part of its programmes. If all the courses of any programme are offered online, it should also be mentioned in the respective certificate/ degree."

(b) after clause 11.6.2, the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

"**11.7 Establishment of Off-campus centre(s):** Institutions of Eminence Deemed to be Universities shall be permitted to start new off-campus centre(s) (maximum of 3 in 5 years and not more than 1 in one academic year), by following the procedure mentioned hereunder:-

11.7.1– Institutions of Eminence Deemed to be Universities shall submit their application to the Ministry by way of an Affidavit in the prescribed proforma along with the Detailed Project Report (DPR) containing its 10 year Strategic Vision Plan and a five year rolling implementation plan viz. academic plan, faculty recruitment plan, student admission plan, research plan, infrastructure development plan, financial plan, administrative plan, governance plan with clear annual milestones and action plan on how the proposed off-campus is to be set up with identifiable outcomes for approval to start/establish an Off-Campus Centre. The Ministry shall forward the application to the Commission for its advice within ten days of the receipt of the application.

11.7.2– The Institutions of Eminence Deemed to be Universities applying for off-campus centre(s) shall have to meet the following stipulations in the proposed off-campus centre(s) within a reasonable time period not exceeding five years:-

(i) teacher student ratio shall not be more than 1:20 OR shall be as per the requirement of the concerned Statutory Council(s). The teacher student ratio shall be 1:10 at the end of the five years. The faculty for this purpose shall include the regular faculty, adjunct faculty, overseas faculty, visiting faculty, contractual faculty, industry faculty and tenure track faculty, or faculty as otherwise permitted by the Statutory Council(s) concerned-:

Provided, however, that at least sixty per cent. of the faculty shall be appointed on permanent/regular basis;

(ii) a minimum of five hundred students on its rolls under regular class room mode with one third PG/Research students;

(iii) five PG programmes;

(iv) research Programmes;

(v) built up area of not less than thirty square metres per student which shall include academic (academic buildings, library, lecture hall, laboratories, etc.), administrative (hostels, faculty residences, health care), common and recreational facilities.

Provided that at the time of starting the programme(s), the academic and physical infrastructure at the proposed off-campus centre(s) shall be in accordance with the norms/standards prescribed by the UGC/concerned Statutory Council(s). Such programme shall have the approval of the relevant Statutory Council(s), wherever required. The Institutions of Eminence Deemed to be Universities shall ensure that the norms and standards of the Off-Campus Centre shall be the same as that maintained in the main campus for similar courses, and the Off-Campus Centre shall also follow similar admission criteria, curriculum, examination system and evaluation system. All the information about the off-campus centre shall be disclosed on the website of the Institution of Eminence Deemed to be University:

Provided further that the Institutions of Eminence Deemed to be Universities shall be permitted to start an Off-Campus Centre(s) in an interim campus subject to the condition that the permanent campus shall be ready within a reasonable time period not exceeding five years.

Provided also that the Institutions of Eminence Deemed to be Universities shall ensure that by the end of ten years of the starting of the Off-Campus Centre, the Off-Campus Centre is evolved as a multi-disciplinary research and teaching campus having at least 3 faculties with a minimum of 300 teachers and 3000 students.

11.7.3- The Commission shall place the application before the Empowered Experts Committee for examination and its recommendations on the application. There shall be no requirement of physical inspection. This process shall be completed within thirty days of the receipt of the application from the Ministry.

11.7.4- The Chairman of the Commission, on behalf of the Commission, shall forward the recommendations of the Empowered Experts Committee along with the advice of the Commission to the Ministry within ten days of the receipt of the Empowered Experts Committee recommendations.

11.7.5- The Ministry shall, after taking into the consideration the recommendations of the Empowered Experts Committee and advice of the Commission, and ordinarily within a further period of fifteen days from the date of receipt of such advice, either issue a notification for starting of off-campus centre(s) or, as the case may be, a Letter of Intent (LoI) for setting up of new off-campus centre or reject the proposal stating the reasons thereto. The decision of the Ministry shall be final and binding.

11.7.6- The functioning of the off-campus centre(s) shall be reviewed by the Empowered Experts Committee independently and/or along with the Institution of Eminence Deemed to be Universities in accordance with the provisions available under regulation 13.0. After review of the off-campus centre, if the Empowered Experts Committee is not satisfied with the performance of the off-campus centre, it may recommend discontinuation of the off-campus centre to the Central Government. In such cases the interest of the students enrolled at the off-campus centre shall be protected and the Institution of Eminence Deemed to be University shall be asked to seek affiliation of the Off-campus centre to the State University having territorial jurisdiction.

11.8 Establishment of an Off-shore campus

11.8.1- Institutions of Eminence Deemed to be Universities shall be allowed to start new off-shore campuses with the prior approval of the Ministry after receiving No Objection Certificate from Ministry of External Affairs and Ministry of Home Affairs. The Institutions of Eminence Deemed to be Universities shall ensure that the norms and standards of the Off-shore campus shall be the same as that maintained in the main campus for similar courses, and the Off-shore campus shall also follow similar admission criteria, curriculum, examination system and evaluation system. All the information about Off-shore campus shall be disclosed on the website of the Institution of Eminence Deemed to be University.

11.8.2- The functioning of the off-shore campus(s) shall be reviewed by the Empowered Experts Committee independently and/or along with the IoE Deemed to be Universities in accordance with the provisions available under regulation 13.0. After review of the off-shore campus, if the Empowered Experts Committee is not satisfied with the performance of the off-shore campus, it may recommend discontinuation of the off-shore campus to the Central Government. In such cases the interest of the students enrolled at the off-shore campus shall be adequately protected by the Institution of Eminence Deemed to be University.

11.9 Entering in to the agreement/arrangement

(a) The Institution of Eminence Deemed to be University may enter into an agreement or arrangement for the establishment, maintenance or operation of an institution, if -

(I) Such agreement or arrangement is permitted under any Act of Parliament or the rules or regulations made thereunder; and

(II) It has made an application following the procedure specified in regulation 11.7, except the procedure in sub-regulation 11.7.2, and the campus to be established under such agreement or arrangement shall be-

(A) treated as an Off-Campus Centre of the Institution of Eminence Deemed to be University as long as such agreement or arrangement remains valid under such law; and

(B) subject to similar standard of audit and disclosure as a 'not-for-profit' entity as that of the Institution of Eminence Deemed to be University.

(b) The Institution of Eminence Deemed to be University may enter into an agreement or arrangement for practical training of students of a skill oriented vocational course if such course is approved by the University Grants Commission or any other body established under any Act of Parliament.".

8. In the said regulations, in regulation 13.0, in sub-regulation 13.1, for the words "Ministry of Human Resource Development", the following word "Ministry" shall be substituted.

9. In the said regulations, for regulation 16.0, the following regulation shall be substituted, namely:-

"16.0 The Institution of Eminence Deemed to be University shall be a unitary Institution Deemed to be University, which shall include its Off-Campus Centre(s) and Off-shore campus(s), if any, and shall not affiliate any other institution.".

10. In the said regulations, for regulation 19.0, the following regulation shall be substituted, namely:-

"19.0 Distance and online education:- The Institutions of Eminence Deemed to be Universities may offer courses under distance mode and online mode, without any approvals, in accordance with the minimum standards laid down by the Commission. This provision shall also apply to Government owned and controlled Deemed to be Universities which have been declared Institutions of Eminence under UGC (Declaration of Government Educational Institutions as Institutions of Eminence) Guidelines, 2017.".

11. In the said regulations, in regulation 21.0, in sub-regulation 21.1, for the words "Ministry of Human Resource Development" the following word "Ministry" shall be substituted.

Prof. RAJNISH JAIN, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./435/2020]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary under Part III, Section 4 vide No. F. 1-4/2016 (CPP-I)/DU dated 29th August, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM